YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

रिक्ति परिपत्र

सं. ए/51390/सी–12/2017/मुप्रअ/भर्ती–3

भारत सरकार
रक्षा मंत्रालय
(संयुक्त सचिव एवं मुप्रअ का कार्यालय)

कमरा संख्या 174, ई–ब्लॉक
दारा शुकोह रोड
नई दिल्ली–110011

दिनांक 28 नवम्बर 2018

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग

विषय :– रक्षा मंत्रालय के एकीकृत मुख्यालयों सेना, नौसेना, वायु सेना रक्षा कर्मचारिवृन्द मुख्यालय और अन्तर सेवा संगठनों रक्षा मंत्रालय के विभागीय कैंटिनों में समूह 'ग' अराजपत्रित, के विभिन्न पदों को प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरे जाने हेतु।

महोदय,

मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि रक्षा मंत्रालय के एकीकृत मुख्यालयों सेना, नौसेना, वायु सेना रक्षा कर्मचारिवृन्द मुख्यालय और अन्तर सेवा संगठनों रक्षा मंत्रालय के विभागीय कैंटिनों में समूह 'ग', अराजपत्रित के विभिन्न पदों को प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरे जाने की आवश्यकता है। इन पदों का विस्तृत विवरण निम्नलिखित है :–

क्र. सं0	पद एवं वर्गीकरण	अर्हता शर्ते :–
01	**सहायक प्रबंधक–सह भंडारी** **(पद की संख्या–02)** साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अनुसचिवीय, वेतन मैट्रिक्स में स्तर 4 वह 'कैंटीन टाइप 'ए' 'बी' 'सी' 'डी', '2–ए' और '3–ए' में कर्त्तव्यों को	प्रतिनियुक्ति :– केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी :– (क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए है; या (ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर 2 के या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर आठ वर्ष नियमित सेवा की है।

	करने के लिए 250 रू प्रति मास और कैंटीन टाइप '4–ए' और उससे ऊपर की कैंटीन टाइप में कर्तव्य करने के लिए 500 रू प्रति मास विशेष भत्ता भी प्राप्त करेगा/करेगी।	(iii) जिसके पास विहित शैक्षिक अर्हता और अनुभव है। (क) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविधालय से बी.कॉम. **या** किसी मान्यताप्राप्त विश्वविधालय से किसी भी विधा में स्नातक सहित बहीखाता या भंडारण में एक डिप्लोमा। (ख) अनुभव–किसी सरकारी विभाग या उपक्रम में भंडारों या लेखाओं को संभालने का तीन वर्ष का अनुभव। **कार्य रूपरेखा** – (i) सभी कच्चे मालों की खरीद और प्राप्ति। (ii) जब कभी खाध पदार्थ पकाने की आवश्यकता हो, सहायक हलवाई–सह–रसोईया/हलवाई–सह–रसोईया या रसोई स्टाफ को कच्चा माल देना। (iii) भंडार मदो तथा कच्चे मालों का प्रभारी। (iv) उचित प्रकार से स्टॉक मदों के खाते का रखरखाव करना। (v) लेखाकरण रिकॉडों के ग्राउंड के अनुसार भंडारों की सही होल्डिंग की जिम्मेदारी। (vi) भंडार की हानि/क्षति हेतु जिम्मेदार। (vii) कैंटीन के प्रभारी द्वारा आबंटित अन्य अतिरिक्त कर्तव्य।
02	**हलवाई–सह–रसोइया** **(पद की संख्या–01)** साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अनुसचिवीय, वेतन मैट्रिक्स में स्तर 3	**प्रतिनियुक्ति** :– केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी :– (क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए है; या (ii) ऐसे सहायक हलवाई–सह–रसोइया

		(iii) जिसके पास भोजन प्रबंध में प्रमाण–पत्र / डिप्लोमा हैं। **कार्य रूपरेखा** – (i) विभिन्न नाश्तों और पेय पदार्थो जैसे – बोंडा, बटर टोस्ट, डोसा, इडली, वड़ा, पकौड़ा, समोसा, मट्ठी वेजीटेबल कटलेट, वेजीटेबल सैंडविच / पकौड़ा आदि को तैयार करने में हलवाई–सह–रसोइया की सहायता करना। (ii) लंच / भोजन अर्थात चपाती, दही, दाल, पूडी, रायता, चावल, सब्जी, सांभर, सूप, मिष्ठान, वेजीटेबल सलाद, आदि तैयार करने में हलवाई–सह–रसोइया की सहायता करना। (iii) हलवाई–सह–रसोइया की अनुपस्थिति में नाश्ता तथा भोजन तैयार करना। (iv) कैंटीन के प्रभारी द्वारा आबंटित अन्य अतिरिक्त कर्तव्य।

2. प्रतिनियुक्ति पर चयनित अधिकारी की कार्य अवधि आंरभिक 01 वर्ष जो कि धटाई या बढाई भी जा सकती है जो कि आदाता विभाग की जरूरत पर निर्भर करता है, जिसके अंतर्गत केंन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारिख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को का ज्ञा सं 6 / 8 / 2009–Estt (Pay II) दिंनाक 17–6–2010 एवं इसके अनुवर्ती संशोधनों, यदि कोई हो, के अनुसार होगी।

3. पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति के सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नही होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।